मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
1 तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या– 79 /2015 दिनांकः दिसम्बर 16 ,2015

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 ने अपने पत्रांकः पाँच–3–3–2014/6031/2015 दिनांक 08–12–2015 के द्वारा अवगत कराया है कि दस्तावेजी साक्ष्यों से सम्बन्धित अपराधों में विवेचना के उपरान्त केसडायरी के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ संलग्न रहती है जिन्हें मूल दस्तावेजो के अभाव में न्यायालय में साबित करने में अत्यन्त कठिनाई होती है। महानिदेशक अभियोजन द्वारा सुझाव दिया गया है कि जहाँ तक सम्भव हो सके मूल दस्तावेज अनुरक्षित करते हुए छायाप्रतियाँ संलग्न की जायें तथा विवेचक द्वारा मूल दस्तावेज देखने के उपरान्त उसकी छायाप्रति को सत्यापित करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाय "प्रश्नगत दस्तावेज की फोटोकापी का मूल से मिलान कर लिया गया है।"

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि महानिदेशक अभियोजन द्वारा की गयी अपेक्षा के कम में अपने अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

16/12/15

(जगमोहन यादव)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।